

प्रेषक,

निदेशक,  
पंचायतीराज, उ०प्र०।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,  
पंचायतीराज निदेशालय, उ०प्र०।

आवंटन

अनुदान सं०-14

तेरह अंको का कोड-2515000010300

संख्या 1/शा०/०३/२०२२-१/०९/२०२२

लखनऊ: दिनांक 27 अप्रैल, 2022

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-पंचायतीराज निदेशालय के अन्तर्गत व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपयुक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के शासनादेश सं०-3/2022/538/004-538-22 दिनांक 27.04.2022 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-14 के अन्तर्गत वेतन भत्ता आदि मद में लेखा अनुदान में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष 1/3 भाग स्वीकृत धनराशि व्यय हेतु संलग्न तालिका के अनुसार रू०-4,20,46,000/- (रू० चार करोड़ बीस लाख छियालिस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आवंटित की जाती है:-

1. आवंटित धनराशि को आहरित कर पी०एल०ए०/डिपॉजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा।
2. आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।
3. वित्तीय स्वीकृतियों तथा कोषागारों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों में सही लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड सहित) के साथ-साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाय।
4. निर्वर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं०-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक 29.03.2021 एवं कार्यालय ज्ञाप सं०-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022 दिनांक 30.12.2021 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
6. आहरण वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष एकमुश्त आहरण की अनुमति नहीं दी जायेगी। वित्तीय स्वीकृतियों में आवश्यकतानुसार धनराशि के कोषागार से आहरण की फेजिंग का स्वीकृति आदेश में समावेश सुनिश्चित किया जायेगा, जो सामान्यतः 02 माह की आवश्यकता से अधिक नहीं होगी।
7. वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने/धनराशि को नियंत्रक अधिकारी के निर्वर्तन पर रखे जाने के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलॉटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये।
8. विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं०-4/2018/आर०जी०-1021/दस/2018-मित०-1/2017 दिनांक 18.09.2018 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स ऑफ फाइनेन्सियल प्रोपाइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

10. निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से सम्बन्धित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।
  11. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान सं0-14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-पंचायतीराज निदेशालय अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।
  12. नियमानुसार अनुमन्य धनराशि ही वेतन मद में आहरित की जाय। गलत तथा अधिक आहरण के लिये आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
  13. बी0एम0-4 पर बने सभी कालम अवश्य भरे जाय तथा विवरण में कोषागार वाऊचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।
  14. यदि बी0एम0-4 में सूचना नहीं भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई भी घटना होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सीधे जिम्मेदार होंगे।
  15. एक बार धनराशि समर्पित किये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि को कोषागार से आहरित न किया जाये। अतः यदि समर्पण के बाद बिना अनुमति के कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है तो उसके लिये आहरण वितरण अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।
1. कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक विवरण बी0एम0-4 पर तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिकेन्सिलियेशन स्टेटमेन्ट आगामी माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से लेखा एवं बजट अनुभाग-1 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
  2. वर्ष 2022-23 में समर्पण यदि कोई हो तो उसकी सूचना दिनांक 10.03.2023 तक निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-127 पर अंकित है।  
संलग्नक उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अनुज कुमार झा)  
निदेशक,

पंचायतीराज, उ0प्र0।

संख्या: 1/शा0/03/1/2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार सी0पी0 सी0-2 उ0प्र0 प्रयागराज।
4. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उ0प्र0, प्रयागराज।
5. वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0 प्रयागराज।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. एस0पी0एम0यू0, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(ब्रजेश कुमार)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,  
पंचायतीराज, उ0प्र0।

## Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2022-2023  
आवंटन दिनांक-27/04/2022

प्रेषण संख्या:- 1-sha-03-2022-01-09-2022  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-01-09-2020  
अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेत्तर-मतदेय)  
001 - निदेशन तथा प्रशासन  
03 - पंचायती राज निदेशालय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	04-यात्रा व्यय	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	06-अन्य भत्ते	08-कार्यालय व्यय	09-विद्युत देय	10-जलकर / जल प्रभार	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	13-टेलीफोन पर व्यय	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	45-अवकाश यात्रा व्यय	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	49-चिकित्सा व्यय	51-वर्दी व्यय	55-मकान किराया भत्ता	58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2287-निदेशक, पंचायती राज, उ०प्र०, लखनऊ-01-पंचायत राज निदेशालय	वर्तमान 22488000	8321000	1000000	67000	233000	200000	4800000	1000000	200000	33000	67000	133000	100000	1000000	3000	33000	33000	100000	100000	1000000	8000	1860000	167000	42046000
	योग	वर्तमान 22488000	8321000	1000000	67000	233000	200000	4800000	1000000	200000	33000	67000	133000	100000	1000000	3000	33000	33000	100000	100000	1000000	8000	1860000	167000	42046000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-  
महायोग- (प्रगामी आवंटन):-

रूपया चार करोड़ बीस लाख छियालीस हजार  
रूपया चार करोड़ बीस लाख छियालीस हजार

(बृजेश कुमार)  
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी